प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

09.01.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

दुर्घटना

सिरमौर जिला के हरिपुरधार के पास आज दोपहर बाद एक निजी बस के गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 12 लोगों की मौत हो गई और 33 अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए। बस में कुल 45 लोग सवार थे। ये बस सोलन से हरिपुरधार जा रही थी। ये दुर्घटना सड़क पर जमे पानी पर बस के फिसल जाने के कारण हुई बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य आरम्भ कर दिए हैं और घायलों को उपचार के लिए आई.जी.एम.सी. शिमला रैफर किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस बस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने सिरमौर जिला प्रशासन को इस दुर्घटना में मारे गए घायल यात्रियों के परिजनों को यथासम्भव सहायता और बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। उप–मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना को अत्यंत पीड़ादायक करार दिया है। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि मौके पर राहत व बचाव कार्य जारी हैं।

पंचायत चुनाव

प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने 28 फरवरी तक चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रोमेश वर्मा की अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 7 जनवरी को इस संबंध में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव में देर को लेकर डिक्कन कुमार ठाकुर की ओर से नवम्बर 2025 में जनहित याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पूरी होने के बाद आज हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नंदलाल ठाकुर ने हाईकोर्ट के इस फैसले को बड़ी राहत करार दिया और कहा कि ये फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

सुक्खू

इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर आए प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है ऐसे में हाईकोर्ट का फैसला इस एक्ट की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकार भी अप्रैल और मई महीने में ही पंचायत चुनाव करवाने के पक्ष में थी।

भाजपा

उधर बीच विपक्षी दल भाजपा ने पंचायत चुनावों को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मण्डी में एक बयान में हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आलोचना भी की। जयराम ठाकुर ने कहा कि संविधान बचाओ का ढोंग रचने वाली कांग्रेस मौका मिलते ही संविधान की धज्जियां उड़ानें से बाज नहीं आती। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने आज धर्मशाला में कहा कि प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के बाद बौखला गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद प्रदेश सरकार का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने को अदालत की अवमानना भी करार दिया। भाजपा विधायक राकेश जम्वाल ने शिमला में कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनावों से भाग रही थी लेकिन हाईकोर्ट के फैसले ने सरकार की सभी दलीलों पर पानी फेर दिया है।